न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/71

1. गुलाम रसूल
2. जलालुदीन पिसरान मृतक श्री नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण गुरूनानक कॉलोनी बून्दी जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मुश्ताक अहमद आत्मज मृतक श्री वजीर मोहम्मद जी जाति मुलसमान निवासी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास विकास नगर, बून्दी जिला बून्दी ।
2. मंजूर अहमद आत्मज मृतक री वजीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी धानमण्डी के पीछे गुरूनानक कॉलोनी बून्दी जिला बून्दी ।
3. रफीक अहमद
4. मकसूद अहमद
5. एजाज अहमद आत्मज मृतक श्री वजीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम बम्बोरी कला तहसील मांगरोल जिला बारां ।
6. खुर्शीदा बनो पत्नी श्री अब्दुल सलाम जाति मुसलमान निवासी गुरूनानक कॉलोनी बून्दी जिला बून्दी ।
7. इकबाल बनो पत्नी श्री शमीम अहमद जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 3 ख, नई पुलिसा के सामने मिस्त्री मार्केट के पास विज्ञान नगर, कोटा ।
8. मांगी बाई पत्नी श्री वनीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी बम्बोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां ।
9. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।
10. उप पंजीयक हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राघवेन्द्रपाल सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 14.03.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला

बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 2255 रकबा 09 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2261 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 2267 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 2262/3607 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 04 कुल रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वजीर मोहम्मद के नाम खातेदारी में दर्ज है । अप्रार्थी कम 1 से 8 वजीर मोहम्मद के वारिसान हैं । प्रार्थीगण के पिता नूर मोहम्मद जी के जीवनकाल में ही नूर मोहम्मद के भाई अहमद का व महमूद का देहान्त हो गया था जब अहमद व महमूद जी का देहान्त हुआ उनके वारिसान अपरिपक्व थे इसलिए परिवार की देखरेख व व्यवस्था प्रार्थीगण के पिता नूर मोहम्मद ही करते थे । इसी प्रकार ग्रमा बम्बोरी कला तहसील मांगरोल जिला बारां में कुल रकबा 6.3300 हैक्टर भूमि स्थित है उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वजीर मोहम्मद, अलताफ हुसैन पुत्र अहमद हिस्सा 1/3, फतेह मोहम्मद, कासिम अली पुत्र महमूद हिस्सा 1/3, नुरा पुत्र अब्दुल्ला हिस्सा 1/3 अंकित हैं । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान में पारिवारिक समझौता हो गया जिसके अनुसार ही पक्षकारान अपनी –अपनी भूमि पर काबिज काश्त हैं । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है ।

3. अतः अप्रार्थीगण कम 1 से 8 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने वाद प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 में अंकित आराजी को रहन, बेचान नहीं करे एंव प्रार्थीगण के कब्जे में दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे और अप्रार्थी कम 10 को आदेशित किया जावे कि उक्त आराजी का बेचाननामा प्रस्तुत होने पर अथवा अन्य कोई दसतावेज पेश होने पर उसका पंजीयन नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2015 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.02.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है । वादी अपीलान्ट के पिता श्री नूर मोहम्मद कुल तीन भाई अहमद जी, महमूद खॉ व नूरमोहम्मद थे । श्री नूरमोहम्मद जी के जीवनकाल में ही उनके उक्त दोनों भाईयों की मृत्यु हो गई थी । नूर मोहम्मद जी के दोनों भाईयों की मृत्यु के समय उनके दोनों भाईयों के वारिसान अपरिपक्व थे इसलिए परिवा की देखरेख वादीगण अपीलान्ट के पिता करते थे । ग्राम बम्बोरी कलां की वादग्रस्त आराजी वादीगण अपीलान्ट के पिता नूर मोहम्मद जी एवं उनके भाईयों अहमद जी, महमूद जी के पूर्वजों के खाते में थी । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य पारिवारिक समझौता हो गया और उसी अनुसार अपनी–अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2015 निरस्त फरमाया जाकर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध ताफैसला दावा इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 8 ताफैसला दावा उक्त आराजी रहन, बेचान हिबा एवं अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करे तथा

वादीगण अपीलान्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट दिनांक 05.06.1992 का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है वह प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है । अपीलान्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है । रेस्पोडेन्ट खातेदारी में अपना नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त भूमि को दौराने वाद रहन, बेचान कर दिया जो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ।

10. प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसे है प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और यदि दौराने वाद रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त भूमि रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दी गई तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी अपीलान्ट के पक्ष में है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2015 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह दौराने वाद वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि से करावे ।

12. निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा